प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "Investigation of Organized Crime"

दिनांक **13-06-2022 से 17-06-2022**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

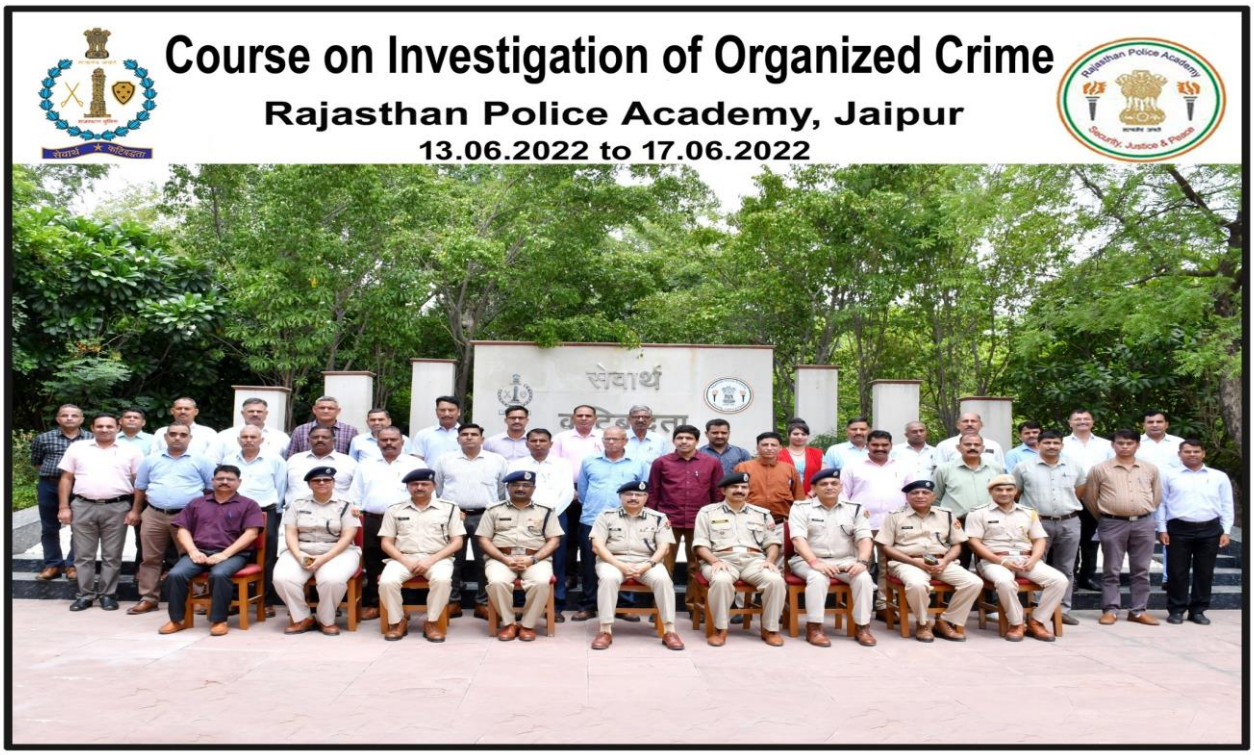

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 13-06-2022 से 17-06-20225 तक **"Investigation of Organized Crime"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रान्फेन्स हॉल न0 02 में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 36 प्रतिभागियों जिसमें 01 उप अधीक्षक पुलिस, 03 पुलिस निरीक्षक, 32 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्रीमती सीमा हिंगोनिया, सहायक निदेशक, (आउटडोर) आरपीए, जयपुर ने बाल तस्करी/मानव तस्करी और अपहरण के लिए कानूनी प्रावधान, नवीनतम केस स्टडी के साथ जांच कैसी होती के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में डॉ विश्वास भारद्वाज, एडी (साइबर फोरेंसिक एफएसएल,जयपुर) ने साक्ष्य संग्रह / संकलन और दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्य के संग्रहन की कला के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय सत्र में श्री रितेश शर्मा, साइबर विशेषज्ञ, जयपुर ने साइबर अपराध की जांच, **UPI** फ्रॉड का संदर्भ, डिजिटल अकाउंट फ्रॉड के बारे में बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र श्री संजीव भटनागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी एसएसबी, पुलिस मुख्यालय जयपुर ने संगठित अपराध के बारे में जानकारी दी एवं केस स्टडी के साथ विभिन्न अवधारणाएं, प्रकार और हालिया रुझान, विभिन्न आपराधिक गिरोह और उनके तौर-तरीके, राजस्थान में उभरते रुझान, अंतर्राज्यीय समन्वय। हथियारों की तस्करी से सम्बन्धित संगठित अपराध के अध्ययन के बारे

में बताया। तृतीय सत्र में श्री राकेश मोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक- (जेल प्रथम) ने जेल परिसर से संचालित सगंठित अपराध (जेल से चल रहा क्राइम सिंडिकेट) पर विस्तार से बताया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री। आर.एस. बत्रा,आरएएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच- केस स्टडी के साथ डबल पट्टा, जाली समझौते के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। द्वितीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने पिट एनडीपीएस अधिनियम, नशीली दवाओं के अपराध और सिंथेटिक दवाओं में उभरती प्रवृत्ति, ए. डी. पी. एस. के केसेज में बरी होने के प्रमुख कारणों के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ, आरपीए, जयपुर ने गंभीर संगठित अपराधों में एफआईआर और अभियोजन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानूनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण, प्राथमिकी रद्द करने के कानूनी प्रावधान के बारे में बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री गिरवार सिंह,आरटीएस (सेवानिवृत्त) ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (टीपीए), मुख्तारनामा, वसीयत, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ से संबंधित विवाद के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री योगेंद्र फौजदार, सहायक निदेशक (**SIC**) आरपीए, जयपुर ने संगठित अपराध की केस स्टडी (आनंद पाल केस) के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री ऋषभ शर्मा, सहायक निदेशक (पीएमएलए) प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर ने पीएमएल अधिनियम, 2002 की जांच के बारे में बताया।

पंचम दिवस के प्रथम सत्र में श्री राजेश दुरेजा, (पुलिस उप अधीक्षक) एसीबी, जयपुर ने संगठित अपराध में सेल फोन, इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस, (**P&W**) पुलिस मुख्यालय, जयपुर ने हथियारों की तस्करी से सम्बन्धित संगठित अपराध की जांच के बारे में बताया। श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस, के मुख्य अतिथित्य में कोर्स के समापन सत्र का आयोजन किया गया जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स के अन्त में कोर्स डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स का विधिवत समापन किया गया।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक